

वर्धमान ग्रीन पार्क अपार्टमेंट रखरखाव सहकारी समिति
मर्यादित, भोपाल

रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023

विवरणी

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	3
2	वार्षिक रखरखाव शुल्क का निर्धारण	3
3	रखरखाव शुल्क लेने का तरीका	4
4	रखरखाव शुल्क नहीं जमा करने पर निषेधात्मक कार्यवाही	5
5	रहवासी और समिति के बीच किसी भी विवाद का निपटारा	6
6	निरसन और सुधार	7
7	अनुसूची 1	8
8	अनुसूची 2	9
9	अनुसूची 3	10

परिचय

1. ये नियम वर्धमान ग्रीन पार्क अपार्टमेंट रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल द्वारा उसकी कार्यकारिणी से अनुसमर्थित होने के पश्चात लागू होगी। इसे लागू करने के समय के निर्धारण करने का अधिकार समिति को होगा। इसे लागू करने के 1 साल के भीतर, इसे आम सभा में बहुमत से पारित कराना होगा।
2. **प्रस्तावना एवं उद्देश्य:** इन नियमों का मूल उद्देश्य समिति के सदस्यों और रहवासियों से रखरखाव शुल्क लेने की नीति की व्याख्या करना और किसी भी भ्रान्ति को खतम करना है। इन नियमों का उद्देश्य ये उल्लिखित करना भी है कि रखरखाव शुल्क बकाया होने की स्थिति में समिति किस प्रकार बकाया राशि वसूल करेगी और इसके लिए किस प्रकार के कानूनी अधिकार उसके पास होंगे। ये नियम ये भी स्पष्ट करने के लिए हैं कि किसी विवाद की स्थिति में उस विवाद को निपटाने के क्या रास्ते समिति और रहवासियों के पास होंगे।
3. **परिभाषाएं:**
 - a. **कॉलोनी:** कॉलोनी मतलब वर्धमान ग्रीन पार्क कॉलोनी जो अशोका गार्डन, भोपाल में स्थित है।
 - b. **मल्टी या मल्टी परिसर:** कॉलोनी का वो हिस्सा जो तीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लोटस, लिली और आर्किड को मिला के बना है और कॉलोनी में अलग से कवर्ड है।
 - c. **समिति:** समिति का मतलब वर्धमान ग्रीन पार्क अपार्टमेंट रहवासी रखरखाव सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल जो मल्टी परिसर में कार्यरत है और उसके देखरेख के काम में संलग्न है।
 - d. **सदस्य:** वो व्यक्ति जो वर्तमान में समिति के अंशधारी सदस्य है। ये जरूरी नहीं की वो सदस्य मल्टी परिसर में निवास करते हों।
 - e. **रहवासी:** वो व्यक्ति जो मल्टी परिसर में निवास करते है या मल्टी परिसर में किसी फ्लैट का मालिक है। ये जरूरी नहीं की वो समिति का सदस्य हो।
 - f. **वित्त वर्ष:** हर साल 1 अप्रैल से शुरू हो के अगले साल 31 मार्च तक का समय एक वित्त वर्ष माना जायेगा।
 - g. **रखरखाव शुल्क:** रखरखाव शुल्क वो शुल्क होगा तो समिति, मल्टी परिसर के रखरखाव और समिति के काम को चलाने में लगाने वाले खर्च की पूर्ति के लिए अपने सदस्यों और रहवासियों से लेगी।

वार्षिक रखरखाव शुल्क का निर्धारण

4. रखरखाव शुल्क हर प्रकार के फ्लैट से एक समान लिया जायेगा। व्याख्या -
 - a. चाहे कोई फ्लैट 2 BHK हो या 3 BHK, दोनों के रखरखाव शुल्क सामान होंगे।
 - b. चाहे फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर हो या टॉप फ्लोर पर हो या किसी और फ्लोर पर, रखरखाव शुल्क सामान होंगे।
 - c. किसी फ्लैट मालिक का ये तर्क की उनकी फ्लैट की कोई विशेष स्थिति के कारण वो समिति द्वारा प्रदत्त कोई सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते तो उनसे बाकियों से कम शुल्क लिया जाये, स्वीकार्य नहीं होगा।
 - d. कोई फ्लैट खाली पड़ा है या वर्ष के कुछ महीने यहां कोई नहीं रहा है, दोनो परिस्थिति में पूरे साल का पूरा रखरखाव शुल्क लिया जाएगा।
 - e. किसी भी परिस्थिति में भी रखरखाव शुल्क में कोई कमी नहीं होगी और ये प्रति फ्लैट समान रूप से लिया जाएगा।
5. आगामी वित्तवर्ष के रखरखाव शुल्क का निर्धारण, वर्तमान वित्तवर्ष के आखिरी महीने, यानी मार्च की पहली तारीख से शुरू कर दिया जायेगा। इस महीने की पहली कार्यकारिणी की बैठक में कोषाध्यक्ष वर्तमान वित्तवर्ष का पूरा हिसाब किताब रखेंगे। इस हिसाब किताब में कम से निम्नलिखित मद के खर्चों का हिसाब दिया जायेगा।

- a. बिजली बिल में खर्च। लाइट या बिजली वितरण सम्बन्धी किसी उपकरण को ठीक या बदलने का खर्च।
 - b. लिफ्ट के मद में खर्च। (बिजली बिल के अलावा)।
 - c. पानी वितरण में खर्च (बिजली बिल के अलावा)।
 - d. साफ़ सफाई और सीवर के रखरखाव का खर्च। बिल्डिंग में किसी मरम्मत का खर्च।
 - e. पार्क के रखरखाव का खर्च।
 - f. सिक्योरिटी से संबंधित खर्च।
 - g. समिति का प्रशासनिक खर्च।
 - h. कोई और खर्च जो अगले वित्तवर्ष में योजनाबद्ध हैं।
 - i. कोई आय जो रखरखाव शुल्क से अन्य है और जो समिति को अगले वित्तवर्ष में अपेक्षित हैं।
6. इन उपरोक्त पिछले खर्च और आय के हिसाब से समिति अगले वित्तवर्ष के खर्चों का बजट बनाएगी और कार्यकारिणी में उसे बहुमत से पास करने के बाद सभी सदस्यों से सुझाव और आपत्ति के लिए समिति के आम व्हाट्सप्प ग्रुप में डालेगी। इसे ग्रुप में डालने के 7 दिन के पश्चात जो भी सुझाव और आपत्ति सदस्यों द्वारा आएं, कार्यकारिणी उसका निपटारा करेगी और उसके 7 दिन के भीतर बजट को अंतिम रूप देगी। इसके पश्चात बजट का ये अंतिम स्वरूप कार्यकारिणी, मार्च माह की आम सभा में सभी सदस्यों के समक्ष वोटिंग के लिए रखेगी।
7. आम सभा में बजट के पास होने के पश्चात कार्यकारिणी सभी रहवासियों को अगले वित्तवर्ष के लिए रखरखाव शुल्क के बारे में सूचित करेगी। निर्धारित रखरखाव राशि के बारे में सूचना देने का माध्यम समिति का व्हाट्सप्प ग्रुप और समिति का सूचना पटल होगा। इस व्हाट्सप्प ग्रुप में होने और समिति के सूचना पटल को देखने की जिम्मेदारी रहवासियों की स्वयं की होगी। समिति द्वारा इन माध्यमों से इस बाबत सूचना देने से ये मान लिया जायेगा की ये सूचना प्रत्येक रहवासी तक पहुंच चुकी है।

रखरखाव शुल्क लेने का तरीका

8. समिति निम्नलिखित अंतराल में से किसी एक अंतराल पे रहवासियों से रखरखाव शुल्क की मांग करेगी और ये अंतराल क्या होगा इसके बारे में किसी रहवासी को समिति को अगले वित्तवर्ष के शुरू होने से पहले ही सूचित करना होगा। समिति किसी वित्तवर्ष में नीचे की लिस्ट से कुछ ऑप्शन हटाने के लिए स्वतंत्र है। ये अंतराल निम्नलिखित होंगे। किसी रहवासी के कोई भी अंतराल ऑप्शन नहीं बताने पर डिफॉल्ट रूप से उसका अंतराल **वार्षिक** होगा।
- a. मासिक
 - b. अर्धवार्षिक
 - c. वार्षिक
9. हर रहवासी के द्वारा इच्छित अंतराल के आधार पर जिस महीने में रखरखाव शुल्क लेना है उस महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में समिति उनको इसका इन्वॉस भेजेगी। व्याख्या -
- a. अगर किसी रहवासी ने अपना रखरखाव शुल्क अंतराल 'मासिक' चुना है तो समिति उन्हें हर महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में इन्वॉस भेजेगी।
 - b. अगर किसी रहवासी ने अपना रखरखाव शुल्क अंतराल 'अर्धवार्षिक' चुना है तो समिति उन्हें अप्रैल और अक्टूबर महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में इन्वॉस भेजेगी।
 - c. अगर किसी रहवासी ने अपना रखरखाव शुल्क अंतराल 'वार्षिक' चुना है तो समिति उन्हें सिर्फ अप्रैल महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में इन्वॉस भेजेगी।
 - d. समिति द्वारा इनवॉइस न प्राप्त होने या देर से मिलने की सूरत में भी ये रहवासी की जिम्मेदारी है की वो समिति कार्यालय से खुद से पता करके समय पर अपना रखरखाव शुल्क जमा कराये। इनवॉइस के ना मिलने या देरी की स्थिति में भी रखरखाव शुल्क देर से जमा करने के कारण कोई भी पेनल्टी में छूट प्राप्त करने का अधिकार रहवासी को नहीं प्राप्त होगा।

10. **रखरखाव शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख:** रखरखाव शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख, जिस महीने में इन्वॉस जारी किया गया है उसकी आखिरी तारीख होगी। समिति के संचालक मंडल को ये अधिकार होगा की वो इसे एक प्रस्ताव पारित करके आगे बढ़ा सकती है।

रखरखाव शुल्क नहीं जमा करने पर निषेधात्मक कार्यवाही

11. **ब्याज:** अनुच्छेद 10 में दी गयी अंतिम तारीख तक भी अगर रखरखाव शुल्क नहीं जमा किया जाता तो अगले महीने से उसपे **24% साधारण ब्याज की दर** से ब्याज लिया जाएगा। व्याख्या - अगर इन्वॉस 1 अप्रैल को जारी हुआ है और कोई मई के महीने में शुल्क जमा करना चाहता है तो 1 महीने का ब्याज लगेगा। अगर कोई जून के महीने में शुल्क जमा करना चाहता है तो 2 महीने का ब्याज लगेगा। इसी तरह हर बीते महीने का ब्याज लगेगा। संचालक मण्डल को ये अधिकार होगा की वो बकाये के त्वरित भुगतान हेतु किसी रहवासी को आंशिक या पूरे ब्याज राशि की छूट दे सके। किसी एक रहवासी को छूट देने का अर्थ ये नहीं होगा की इस आधार पर कोई दूसरा रहवासी भी इस छूट की माँग कर सके। किसी रहवासी को ब्याज पर छूट या नहीं देना देना संचालक मण्डल का विशेषाधिकार होगा।
12. **नोटिस देना:** अगर रखरखाव शुल्क अनुच्छेद 10 में दी गयी अंतिम तारीख तक नहीं जमा हुआ है तो समिति जिसके नाम से इन्वॉस जारी हुआ है उन्हें जितनी जल्दी हो सके पहला नोटिस जारी करेगी जिसका प्रारूप अनुसूची 1 में दिया हुआ है। इसके बाद दोबारा कम से कम 14 दिन पश्चात दूसरा नोटिस दिया जाएगा जिसका प्रारूप अनुसूची 2 में दिया हुआ है। इसके बाद आखिरी और तीसरा नोटिस दिया जाएगा जो दूसरे नोटिस के कम से कम 14 दिनों के पश्चात दिया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा की समिति द्वारा प्रदत्त सेवाएँ स्थगित की जा रही हैं। इस तीसरे नोटिस का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है।
13. **नोटिस देने का माध्यम:** हर नोटिस देने का माध्यम whatsapp या रजिस्टर्ड डाक होगा होगा। समिति द्वारा किसी रहवासी के वहतसप्य नम्बर पर नोटिस डालने के बाद रहवासी के whatsapp नम्बर के सही होने और उस नम्बर को देखने की जिम्मेदारी स्वयं रहवासी की होगी। रजिस्टर्ड डाक रहवासी के उस फ्लैट के पते पर भेजी जाएगी जो फ्लैट समिति के परिसर में स्थित है। नोटिस रहवासी के whatsapp नम्बर पर या रजिस्टर्ड डाक से रहवासी के फ्लैट के पते पर डालने के 5 दिन बाद ये मान लिया जाएगा की उसे ये नोटिस मिल चुका है।
14. **सेवाएँ स्थगित करना:** तीसरे और आखिरी नोटिस भेजने के बाद 10 दिन बाद समिति द्वारा प्रदत्त सेवाएँ स्थगित कर दी जाएँगी। इससे निम्नलिखित सेवाएँ प्रभावित होंगी।
- पानी:** इसमें समिति द्वारा उस फ्लैट की पानी की टंकी में पानी भरना बंद कर दिया जाएगा। सम्बंधित फ्लैट निवासी ऐसी स्थिति में सिर्फ बकायदारों के लिए बनाए नल से पानी भर सकते हैं। समिति कोशिश करेगी की वो नल सम्बंधित बकायादार की बिल्डिंग में ही हो पर ऐसा ना होने पर बकायादार का कोई भी दावा सही नहीं माना जाएगा।
 - कचरा निस्तारण:** इसमें सम्बंधित बकायादार के घर से समिति द्वारा कचरा नहीं उठाया जाएगा। इस स्थिति में ये बकायादार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी की वो अपने कचरे का स्वयं निस्तारण करे। इनके अपना कचरा बिल्डिंग के कॉरिडोर या मल्टी परिसर के किसी भी अन्य सार्वजनिक जगह छोड़े जाने की स्थिति में समिति उन पर कोई भी उचित कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।
 - लिफ्ट प्रयोग:** इसमें सम्बंधित बकायादार, उसके परिवार के लोग या उनके मेहमान लिफ्ट का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। ऐसा करने पर हर बार उन पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का लिफ्ट प्रयोग करने पर कोई रोक नहीं होगी।
15. **सेवाएँ पुनः बहाल करना:** सभी प्रकार के बकाए चुकाने के बाद पुनः सेवाएँ बहाल की जा सकती हैं। इसके लिए सभी प्रकार के बकाए चुकाने के बाद बकायादार को 500 रुपए, 'पुनः सेवा बहाल शुल्क' देना होगा जो सभी बकाये के अतिरिक्त होगा। सेवाएँ चालू करने के लिए जिस अंतराल में सेवाएँ स्थगित रही हैं उस समय

- का भी पूरा रखरखाव शुल्क देना होगा। सभी बकाये के जमा होने के 24 घंटे के भीतर सारी सेवाएँ बहाल कर दी जाएँगी और अनुच्छेद 14 में जो रोक बकायादार पर लगायी गयी थी वो समाप्त कर दी जाएँगी।
16. जब तक सेवाएँ बाधित रहेंगी, उस अंतराल का भी रखरखाव शुल्क रहवासी को देना होगा और इसे समायोजित (adjustment) नहीं किया जाएगा।
 17. समिति द्वारा पुनः सेवा बहाल करने की स्थिति में समिति पूरी कोशिश करेगी कि इसे जल्दी से जल्दी फिर से बहाल किया जा सके पर उस अंतराल में जब तक सेवा बाधित थी उस बाधित सेवा के कारण किसी भी तरह का रखरखाव शुल्क में समायोजन (adjustment) नहीं किया जाएगा।
 18. **फोर्स मेज्योर:** ऐसी कोई भी प्राकृतिक, सामाजिक या राजनीतिक घटना जैसे, बाढ़, भूकंप, तेज बारिश, दंगा, किसी अन्य कारण से बिजली या पानी का अचानक अनुपलब्ध होना या कोई भी ऐसी अन्य आकस्मिक घटना जिससे समिति कोई सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराने में अक्षम रहती है तो इस बारे में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इस कारण रखरखाव शुल्क में किसी कटौती की माँग को स्वीकार किया जाएगा।

रहवासी और समिति के बीच किसी भी विवाद का निपटारा

19. इन नियमों से संबंधित किसी विषय पर, रहवासी और समिति के बीच किसी भी विवाद का निपटारा Arbitration And Conciliation Act, 1996 के तहत **आर्बिट्रेशन** से होगा।
20. **आर्बिट्रेशन के लिए आवेदन:** किसी भी रहवासी के समिति को आर्बिट्रेशन के लिए आवेदन देने और उसके लिए शुल्क जमा करने के साथ ही आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
21. **सेवाओं की बहाली:** अगर ये आर्बिट्रेशन, किसी भुगतान के बकाए को लेके हैं तो जब तक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी तब तक समिति किसी रहवासी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती और कोई सेवा स्थगित नहीं कर सकती। अगर सेवा पूर्व में स्थगित की गई है तो आर्बिट्रेशन का आवेदन देने से निर्णय आने तक उसे शीघ्रतिशीघ्र पुनः बहाल करना होगा।
22. **आर्बिट्रेटर का चुनाव:** आर्बिट्रेटर चुनने के लिए समिति न्यूनतम तीन लोगों का एक पैनल बनाएगी जो आर्बिट्रेटर बनने के इच्छुक हैं। इस पैनल में समिति के संचालक मंडल के किसी भी सदस्य को नहीं लिया जा सकेगा। इस पैनल के किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर चुनने का अधिकार वादी रहवासी को होगा। इस आर्बिट्रेटर पैनल की लिस्ट समिति को आवेदन प्राप्त होने के 5 कार्य दिवसों में रहवासी को देनी होगी और लिस्ट मिलने के बाद इसमें से एक आर्बिट्रेटर को चुन के उसकी सूचना 5 कार्यदिवसों में रहवासी को समिति को देनी होगी।
23. **आर्बिट्रेटर को भता:** आर्बिट्रेटर को एक विवाद के निपटान के लिए कुल 1000 रुपए मिलेंगे। इस शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार समिति को होगा। ये शुल्क समिति और वादी रहवासी आधा-आधा वहन करेंगे जो आर्बिट्रेशन के शुरू होने के पहले ही जमा करना होगा। अगर आर्बिट्रेशन का परिणाम रहवासी के हक में आता है और अगर आर्बिट्रेटर उचित समझे तो उसे ये आदेश देने का अधिकार होगा की रहवासी की आर्बिट्रेशन फीस रहवासी को वापस कर दी जाए और इसके बदले समिति वो फीस भरे।
24. **आर्बिट्रेटर बनने की योग्यता:** आर्बिट्रेटर बनने के उम्मीदवार को ये लिख के देना होगा की किसी विवाद विशेष के निपटान के फलस्वरूप किसी भी तरह के परिणाम आने से उसे किसी भी तरह के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक, भावनात्मक या अन्य किसी भी प्रकार का कोई लाभ या हानि होने की कोई संभावना नहीं है।
25. **आर्बिट्रेशन की समय सीमा:** आर्बिट्रेटर के चुनाव के बाद किसी भी विवाद को निपटाने की समय सीमा अधिकतम 5 कार्य दिवस की होगी। आर्बिट्रेशन के अंत में आर्बिट्रेटर अपने निर्णय की एक कॉपी समिति को और एक कॉपी वादी रहवासी को देंगे।
26. **आर्बिट्रेशन का स्थल:** आर्बिट्रेशन का स्थल समिति द्वारा मुहैया कराया गया कोई कक्ष होगा। आर्बिट्रेशन से संबंधित अन्य सुविधाएं और इससे संबंधित कोई भी स्टेशनेरी भी समिति द्वारा मुहैया करायी जाएगी।

निसरन और सुधार

27. **निरसन (repeal):** इस 'रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023' के लागू होने के बाद रखरखाव शुल्क वसूली से संबंधित सारे नियम जो पूर्व में प्रचलन में थे वो निरस्त हो जाएँगे और इस संबंध में एक मात्र यही नियम लागू होगा।
28. **सुधार (amendments):** इन नियमों के किसी भी अनुच्छेद में कोई भी सुधार (परिवर्तन, जोड़ना या हटाना) जिसका कोई अन्य उपाय सम्बंधित अनुच्छेद में नहीं बताया गया है उसे समिति का संचालक मंडल दो-तिहाई बहुमत से कर सकते हैं।
29. **भ्रांति सुधार:** इन नियमों में किसी भी भ्रांति या अस्पष्टता की स्थिति में जो ग़लत व्याकरण या ग़लत शब्द के इस्तेमाल से उत्पन्न हुए हो, इसकी पुनः व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ समिति को होगा।

अनुसूची 1

रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023 के अंतर्गत प्रथम नोटिस

नोटिस क्रमांक: _____

सेवा में,

नाम: _____

फ्लैट क्रमांक: _____

बिल्डिंग: _____

विषय: रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023 के अंतर्गत प्रथम नोटिस

महाशय,

आपके फ्लैट क्रमांक _____, जो _____ बिल्डिंग में स्थित है उसका रखरखाव शुल्क, _____ रुपये, बकाया है। कृपया इन निम्नलिखित इन्वॉस का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करें और सेवाओं में किसी भी व्यवधान होने की स्थिति ना आने दे।

क्रमांक	इनवॉइस संख्या	जमा की पुरानी तिथि	बकाया राशि
1.	—	—	—
		कुल बकाया राशि	—

भवदीय

दिनांक: __/__/__

अध्यक्ष

स्थान: _____

(नाम एवं हस्ताक्षर)

संलग्न:

- इन्वॉस क्रमांक: _____

प्रति:

- कोषाध्यक्ष
- अन्य _____

अनुसूची 2

रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023 के अंतर्गत द्वितीय नोटिस

नोटिस क्रमांक: _____

सेवा में,

नाम: _____

फ्लैट क्रमांक: _____

बिल्डिंग: _____

विषय: रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023 के अंतर्गत द्वितीय नोटिस

महाशय,

आपके फ्लैट क्रमांक _____, जो _____ बिल्डिंग में स्थित है उसका रखरखाव शुल्क बकाया है। कृपया इस इन्वॉस का शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करें और सेवाओं में किसी भी व्यवधान होने की स्थिति ना आने दे।

निम्नलिखित इन्वॉस का भुगतान दिनांक ___/___/___ तक नहीं होने की स्थिति में रखरखाव शुल्क सम्बन्धी नियम, 2023 के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आपको दी जा रही सुविधा रोक दी जाएगी।

क्रमांक	इन्वॉइस संख्या	जमा की पुरानी तिथि	बकाया राशि
1.	---	---	---
		कुल बकाया राशि	---

भवदीय

दिनांक: ___/___/___

अध्यक्ष

स्थान: _____

(नाम एवं हस्ताक्षर)

संलग्न:

- इन्वॉस क्रमांक: _____

प्रति:

- कोषाध्यक्ष
- अन्य _____

अनुसूची 3

रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023 के अंतर्गत अंतिम नोटिस

नोटिस क्रमांक: _____

सेवा में,

नाम: _____

फ्लैट क्रमांक: _____

बिल्डिंग: _____

विषय: रखरखाव शुल्क वसूली संबंधी नियम, 2023 के अंतर्गत अंतिम नोटिस

महाशय,

आपके फ्लैट क्रमांक _____, जो _____ बिल्डिंग में स्थित है उसका रखरखाव शुल्क बकाया है। आपको बकाए के भुगतान हेतु याद दिलाने के लिए प्रथम और द्वितीय नोटिस, दिनांक ____/____/____ और दिनांक ____/____/____ को क्रमशः को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद भी बकाए का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

अतः रखरखाव शुल्क सम्बन्धी नियम, 2023 के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिनांक _____ से आपको समिति द्वारा प्रदत्त सेवाएँ स्थगित की जा रही है।

आप चाहे तो समिति के इस आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करके आप आर्बिट्रेशन में जाने को स्वतंत्र है। इसके अलावा आप जब भी पूरी राशि का भुगतान करेंगे तो उसके 24 घंटे के भीतर आपकी सेवाएँ बहाल कर दी जाएँगी।

भवदीय

दिनांक: __/__/__

अध्यक्ष

स्थान: _____

(नाम एवं हस्ताक्षर)

प्रति:

- कोषाध्यक्ष
- अन्य _____